

162 पत्रावली पत्र दूरी वही लगी करुं।
वही लगी के साथ कोशिका निर्मांक
शिक्षण की पालना से राज्य निर्मांक तक
तलकात समय पत्र नहीं किया गया। कर.
न्यायालय सि. प्र. सं. के कोशिका 3 निर्मांक
5 एवं राजा-घात भू-राज्य कश्चिन्निप
की-यात 63(1) के तहत वाद खारिज
कारण का कोशिका देता है पत्रावली के तहत
सुधार लेना वाद तकील पत्रिल पत्र
हो।

निर्णय को सुनला सुनला 11/11/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

